# अष्टादश बिहार विधान सभा

## द्वितीय सत्र

## ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-23.02.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **श्री उपेन्द्र प्रसाद,<br>स०वि०स०**<br>श्री विनय कुमार चौधरी,<br>स०वि०स०<br>श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा,<br>स०वि०स०<br>श्री रणधीर कुमार सिंह,<br>स०वि०स०<br>श्री राधाचरण साह,<br>स०वि०स०<br>श्री प्रमोद कुमार सिंह,<br>स०वि०स०<br>श्री शुभानंद मुकेश,<br>स०वि०स०<br>श्री रूहेल रंजन,<br>स०वि०स०<br>श्री पप्पु कुमार वर्मा,<br>स०वि०स०<br>श्री उदय कुमार सिंह,<br>स०वि०स० | ''ग्रामीण चिकित्सकों की बैठक में ''स्वास्थ्य समागम'' के तत्वाधान में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुई थी, जिसमें राज्य सरकार ने 04 लाख ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित करवा कर सरकारी सेवा में लेने की बात कही गई थी । पचास हजार ग्रामीण चिकित्सकों ने एन.आई.ओ.एस.पाठयक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक वर्षीय प्रशिक्षण लेकर विधिवत थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । कोविड महामारी के समय प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों ने हजारों मरीजों का प्राथमिक उपचार कर जान बचाया था । आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण बापू सभागार, पटना में हुआ था, जिसमें पैंसठ सौ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों ने प्रशिक्षण लिया । हाल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा किया गया कि सभी गाँवों में वृद्ध-असहाय लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार हेतु स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त होंगे ।<br>अत: सरकार सभी गाँवों में वृद्ध-असहाय लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की नियुक्ति करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।'' | स्वास्थ्य |

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | **श्री महेश्वर हजारी, स०वि०स०**<br>श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स०<br>श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स०<br>श्री नीरज कुमार सिंह, स०वि०स०<br>डॉ० सुनील कुमार, स०वि०स०<br>श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स०<br>श्री माधव आनंद, स०वि०स०<br>श्रीमती अश्वमेध देवी, स०वि०स०<br>श्री राज कुमार राय, स०वि०स०<br>श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० | "समस्तीपुर जिला में स्थित रामेश्वर जूट मिल दिनांक-01.11.2025 से बन्द पड़ा हुआ है । मिल बन्द हो जाने के कारण हजारों मजदूर भूखमरी के कगार पर खड़े हो गए हैं । मिल मालिक के मजदूर विरोधी रवैया के कारण इस मिल में मजदूरों की संख्या 5000 से घटकर मात्र 800 रह गयी है। 4200 मजदूर जो रिटायर या मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनका पी.एफ. का करोड़ों रूपया मिल मालिक के यहाँ बकाया है तथा उनके स्थान पर नए मजदूरों की नियुक्ति नहीं की जा रही है । मिल मालिक द्वारा इस मिल को चलाने के लिए बैंक से करोड़ों रूपया का कर्ज लिया गया है, लेकिन इस जूट मिल पर एक रूपया भी खर्चा न करके पैसे को अन्य मदों में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिस कारण यह जूट मिल चालू नहीं हो पा रहा है । मिल मालिक द्वारा इस मिल के मशीन का अधिकांश पार्टपूर्जा भी खोल कर बेच दिया गया है ।<br>अतएव इस मिल को जल्द-से-जल्द चालू कराया जाय ताकि मजदूरों को रोजगार मिले तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।" | उद्योग |

**ख्याति सिंह**
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-14/2026- 104 /वि०स०, पटना, दिनांक-20 फरवरी, 2026 ई०।
प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-14/2026- 104 /वि०स०, पटना, दिनांक-20 फरवरी, 2026 ई०।
प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-14/2026- 104 /वि०स०, पटना, दिनांक-20 फरवरी, 2026 ई०।
प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / **स्वास्थ्य विभाग एवं उद्योग विभाग** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-14/2026- 104 /वि०स०, पटना, दिनांक-20 फरवरी, 2026 ई०।
प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

20.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।